

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  
आदेश पत्रक

जिला — गुमला  
केस का प्रकार — नीलाम पत्र

वाद सं०— 55/2019-20

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p>बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर</p> <p>बनाम</p> <p>सुमन तिर्की..... विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, चैनपुर शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम—पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें सुमन तिर्की, ग्राम—कोनकेल, पोस्ट—चैनपुर, थाना—चैनपुर, जिला—गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि—50,249.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया है।</p> <p>उपायुक्त, गुमला के ज्ञापांक—7098(ii) / गो० दिनांक—14.08.2023 के आलोक में नीलाम पत्र वादों में 250000.00 रुपये से कम राशि दर्ज वाले अभिलेखों के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर को वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में नीलाम पत्र वाद सं०—55/2019-20 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी, चैनपुर (गुमला) को भेजी जा रही है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p>भूमि सुधार समिक्षा समाहर्ता, —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>	
		<p>भूमि सुधार समिक्षा समाहर्ता, —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>